एमएसएमई नीति

1. परिचय:

1.1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो रोजगार सृजन, नवाचार, निर्यात और अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है. एमएसएमई क्षेत्र अपने विशाल नेटवर्क के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है. एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट: 2021-2022 के संदर्भ में, भारत के एमएसएमई क्षेत्र में 633.88 लाख इकाइयां शामिल हैं, जिनमें से 51% ग्रामीण एमएसएमई एवं 49% शहरी एमएसएमई हैं. एमएसएमई क्षेत्र ने देश में लगभग 11.10 करोड़ नौकरियां सृजित की हैं, जिनमें से 3.60 करोड़ विनिर्माण क्षेत्र में, 3.87 करोड़ व्यापार क्षेत्र में और 3.63 करोड़ अन्य सेवाओं में हैं. एमएसएमई अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अपने डोमेन का विस्तार कर रहे हैं, घरेलू एवं वैश्विक बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं.

1.2. एमएसएमई की पहचान एवं विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया है. इस क्षेत्र को बढ़ावा देने एवं विकास के लिए सक्षम नीति वातावरण प्रदान करने के लिए एमएसएमई को परिभाषित करने के माध्यम से, एमएसएमई उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को विकसित करने और बढ़ाने के लिए एक ढांचा तैयार करना, इस क्षेत्र के ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करना और एमएसई के उत्पादों और सेवाओं के लिए सरकारी खरीद में वरीयता का मार्ग प्रशस्त करना, विलंबित भुगतान के मुद्दे को संबोधित करना आदि हेतु एमएसएमईडी अधिनियम, 2006, अधिनियमित किया गया है.

1.3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के बीच सुधार लाने की दिशा में, भारत सरकार ने "सुधार एजेंडा" (ईएएसई) को अपनाने के लिए बैंक को अधिकृत किया है. सुधार एजेंडा का उद्देश्य "संवर्धित पहुंच एवं सेवा उत्कृष्टता - ईज" है जो मूल रूप से विभिन्न विषयों पर आधारित है. इन विषयों में एक एमएसएमई को समर्पित है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ "एमएसएमई के लिए वित्तपोषण में ईज" शामिल है. यह अनिवार्य है कि बैंक की सभी शाखाएं/कार्यालय/कारोबारी इकाइयां समकालिक रूप से कार्य करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईज एजेंडा के अनुरूप एमएसएमई की सभी जरूरतों को समय पर पूरा किया जाता है.

2. एमएसएमई नीति:

2.1. पृष्ठभूमि

अत:, बैंक ने एमएसएमई के प्रति एक मानकीकृत दृष्टिकोण रखने एवं एमएसएमई मामलों से निपटने वाले सभी के लिए एक संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने के लिए एक अलग दस्तावेज़ - एमएसएमई नीति - तैयार की है.

एमएसएमई नीति एक औपचारिक नीति दस्तावेज है जिसमें एमएसएमई ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक की भूमिका और दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है. एमएसएमई को उधार देना एमएसएमईडी अधिनियम और आरबीआई के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार दिशानिर्देशों का एक अभिन्न अंग होने के कारण इस पर भी नीति में चर्चा की गई है, जहां भी लागू हो.

बैंक ने नीति दिशानिर्देशों के साथ एमएसएमई हेतु उधार पर परिचालन दिशानिर्देश भी जारी किया है.

2.2. **उद्देश्य:-**

2.2.1. एमएसएमई नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:

i. इस नीति का उद्देश्य आक्रामक ऋण विपणन के माध्यम से एमएसएमई ग्राहक आधार को बढ़ाना है.

ii. यह नीति विवेकपूर्ण और त्वरित ऋण निर्णय के लिए मौजूदा एमएसएमई ग्राहकों की ऋण आवश्यकताओं को संबोधित करती है.

iii. यह नीति एक ओर क्रेडिट मूल्यांकन कौशल और रणनीतियों के प्रति बैंक के दृष्टिकोण और दूसरी ओर लचीलेपन एवं नवाचार का वर्णन करती है.

iv. यह नीति दस्तावेज़ यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि बैंक के सामाजिक-आर्थिक दायित्वों को पूरी तरह से पूरा किया गया है.

v. यह नीति आस्तियों के कार्यनिष्पादक और मानक को बनाए रखते हुए उन ऋण आस्तियों की निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास करती है.

vi. इस नीति का उद्देश्य एक विश्वसनीय डेटा बेस पर आधारित एक व्यापक प्रबंधन सूचना प्रणाली तैयार करना है और प्रणाली एवं नियंत्रण में सही ताल-मेल के द्वारा उधार से जुड़े जोखिम के शमन को और कम करने का प्रयास करता है.

vii. यह नीति दस्तावेज एमएसएमई क्रेडिट मामलों पर सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी निर्देशों, दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. बैंक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों का पालन करेगा. एमएसएमई विभाग एमएसएमई ऋण संविभाग के विकास के लिए समय-समय पर जारी एमएसएमई संबंधित योजनाओं/सरकारी प्राधिकरणों के दिशानिर्देशों को संप्रेषित करेगा. इन दिशानिर्देशों की अलग-अलग व्याख्याओं के मामले में, बैंक दिशानिर्देशों के पीछे की भावना से विचलित हुए बिना एमएसएमई विभाग द्वारा निर्धारित उचित व्याख्या को अपनाएगा.

viii. इस नीति को जारी करने का एक मूल उद्देश्य क्षेत्र की जरूरतों एवं उसके लिए जारी दिशानिर्देशों के संबंध में शाखा स्तर के कर्मियों के बीच जागरूकता लाना है.

2.3. **दायरा:**

2.3.1. यह नीति एमएसएमई क्रेडिट से संबंधित सभी मामलों जैसे कि निधि आधारित, गैर-निधि आधारित और एमएसएमई क्रेडिट के ऋण वितरण के अन्य रूपों से निपटेगी.

2.3.2. चूंकि अन्य ऋण संबंधी क्षेत्रों को ऋण नीति द्वारा विस्तार से बताया गया है, इसलिए दोहराव से बचने के लिए इन पहलुओं को एमएसएमई नीति में शामिल नहीं किया गया है. इसलिए, एमएसएमई नीति को ऋण नीति के साथ पढ़ा जाना चाहिए.

2.3.3. इस नीति में सभी प्रकार के एमएसएमई ग्राहक शामिल होंगे जैसे कि व्यक्तिगत, स्वामित्व, भागीदारी, सीमित देयता भागीदारी, व्यक्तियों का संघ, भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियां, एसएचजी, जेएलजी, सहकारी समिति आदि.

2.3.4. यह नीति अब तक जारी सभी भारतीय रिजर्व बैंक एवं मौजूदा नियामक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बनाई गई है.

2.3.5. इस नीति में उल्लिखित दिशानिर्देश सभी घरेलू शाखाओं के लिए लागू हैं.

2.3.6. वित्तीय क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, अल्प सूचना पर कार्रवाई की जा सकती है और इसलिए यह आवश्यक है कि ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) को अपवादों या विचलनों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए. ऐसे संशोधनों को अनुसमर्थन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम (भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं उसके आंतरिक दिशानिर्देशों के साथ)

3.1. भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है जिसे 16 जून, 2006 को अधिसूचित किया गया था. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अधिनियमन के साथ, मध्यम उद्यमों के दायरे के विस्तार के अतिरिक्त सेवा क्षेत्र को एमएसएमई की परिभाषा में शामिल किया गया है. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 ने विनिर्माण या उत्पादन और सेवाएं प्रदान करने या प्रतिपादन में शामिल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को संशोधित किया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने उपरोक्त परिवर्तनों को अधिसूचित किया है, जो कि एमएसएमई की परिभाषा के साथ, अधिनियम के अनुसार बैंक द्वारा ऋण के उद्देश्य से अपनाया गया है.

3.1.1. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के माध्यम से निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं.

i. "उद्योग" शब्द को "उद्यमों" से बदल दिया गया है.
ii. "अत्यंत लघु" शब्द को "सूक्ष्म" से बदल दिया गया है.
iii. सेवा क्षेत्र को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के दायरे में लाया गया है.

3.1.2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा

खंड	वर्गीकरण के आधार पर
सूक्ष्म उद्यम	जहां संयंत्र एवं मशीनरी या उपस्कर में निवेश **एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कुल कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है.**
लघु उद्यम	जहां संयंत्र एवं मशीनरी या उपस्कर में निवेश **दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कुल कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है.**
मध्यम उद्यम	जहां संयंत्र एवं मशीनरी या उपस्कर में निवेश **पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कुल कारोबार दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है.**

3.1.2.1. सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम बनना:

- कोई भी व्यक्ति जो एक सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम स्थापित करना चाहता है, वह स्व-घोषणा के आधार पर दस्तावेज़, कागजात, प्रमाण पत्र या प्रमाण अपलोड करने की आवश्यकता के बिना, उद्यम पंजीकरण पोर्टल में ऑनलाइन उद्यम पंजीकरण दर्ज कर सकता है.

- पंजीकरण पर, एक उद्यम (उद्यम पंजीकरण पोर्टल में उद्यम के रूप में संदर्भित) को एक स्थायी पहचान संख्या आबंटित की जाएगी जिसे उद्यम पंजीकरण संख्या के रूप में जाना जाएगा.

- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने पर एक ई-प्रमाण पत्र, नामत: 'उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र' जारी किया जाएगा.

3.1.2.2. **वर्गीकरण के लिए निवेश एवं कुल कारोबार के सम्मिश्र मानदंड:**

i. किसी उद्यम को सूक्ष्म, लघु या मध्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निवेश एवं कुल कारोबार का सम्मिश्र मानदंड लागू होगा.

ii. यदि कोई उद्यम निवेश या कुल कारोबार के दो मानदंडों में से किसी एक में अपनी वर्तमान श्रेणी के लिए निर्दिष्ट अधिकतम सीमा को पार करता है, तो वह उस श्रेणी में मौजूद नहीं रहेगा और अगली उच्च श्रेणी में रखा जाएगा लेकिन कोई भी उद्यम निम्न श्रेणी में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि यह निवेश के साथ-साथ कुल कारोबार दोनों के मानदंडों में अपनी वर्तमान श्रेणी के लिए निर्दिष्ट सीमा से नीचे नहीं चला जाता.

iii. सामान और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) के साथ एक ही स्थायी खाता संख्या (पैन) के खिलाफ सूचीबद्ध सभी इकाइयों को सामूहिक रूप से एक उद्यम के रूप में माना जाएगा और ऐसी सभी संस्थाओं के लिए कुल कारोबार एवं निवेश के आंकड़े एक साथ देखे जाएंगे और सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम श्रेणी के रूप में तय करने के लिए केवल कुल मूल्य पर विचार किए जाएंगे.

3.1.2.3. **संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में निवेश की गणना**

i. संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में निवेश की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दायर पिछले वर्षों के आयकर रिटर्न (ITR) से जुड़ी होगी.

ii. एक नए उद्यम के मामले में, जहां कोई पूर्व आईटीआर उपलब्ध नहीं है, निवेश उद्यम के प्रमोटर की स्व-घोषणा पर आधारित होगा और इस तरह की छूट वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के बाद समाप्त हो जाएगी, जिसमें वह अपना पहला आईटीआर दाखिल करता है.

iii. उद्यम की अभिव्यक्ति "संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत बनाए गए आयकर नियम, 1962 में संयंत्र और मशीनरी को निर्दिष्ट किया गया है और इसमें सभी मूर्त संपत्तियां (भूमि और भवन, फर्नीचर और फिटिंग के अलावा) शामिल होंगी.

iv. एक संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर की खरीद (बीजक) मूल्य, चाहे वह नया खरीदा गया हो या पुराना, माल और सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर, स्व-प्रकटीकरण के आधार पर लिया जाएगा, यदि उद्यम नया है कोई भी आईटीआर नहीं है.

v. सभी उद्देश्यों के लिए एवं सभी उद्यमों हेतु संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर के मूल्य का अर्थ आयकर अधिनियम में परिभाषित वित्तीय वर्ष के अंत में **अवलिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी)** होगा.

3.1.2.4. **कुल कारोबार का परिकलन (गणना)**

i. वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए, सूक्ष्म, लघु या मध्यम किसी उद्यम के कारोबार का परिकलन करते समय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के निर्यात को बाहर रखा जाएगा.

ii. एक उद्यम के लिए कुल कारोबार एवं निर्यात आवर्त के संबंध में जानकारी आयकर अधिनियम या केंद्रीय सामान और सेवा अधिनियम (सीजीएसटी अधिनियम) और जीएसटीआईएन से जुड़ी होगी.

iii. ऐसे उद्यम जिनके पास पैन नहीं है, के कुल कारोबार संबंधी आंकड़े 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए स्व-घोषणा के आधार पर माना जाता है और उसके पश्चात, पैन और जीएसटीआईएन अनिवार्य है.

3.1.2.5. संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर या कुल कारोबार या दोनों में निवेश के मामले में ऊर्ध्वमुखी बदलाव और परिणामी पुनर्वर्गीकरण के मामले में, एक उद्यम श्रेणी (सूक्ष्म या लघु या मध्यम) के सभी गैर-कर सुविधाओं का लाभ लेना ऐसे ऊर्ध्वमुखी बदलाव की तारीख से तीन वर्षों तक जारी रखेगा जैसाकि यह

पुनर्वर्गीकरण से पूर्व था. उद्यम के रिवर्स-ग्रेजुएशन के मामले में, चाहे पुन: वर्गीकरण के परिणामस्वरूप या संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर या कुल कारोबार या दोनों में निवेश में वास्तविक परिवर्तन के कारण, और उद्यम अधिनियम के तहत पंजीकृत है या नहीं, उद्यम वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अपनी वर्तमान श्रेणी में जारी रहेगा और इसे परिवर्तित स्थिति का लाभ केवल उस वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से दिया जाएगा जिसमें ऐसा परिवर्तन हुआ था. सीबीएस में विवरण कैप्चर करने सहित परिचालन संबंधी दिशानिर्देश अलग से संप्रेषित किए जाते हैं.

सरकार के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 26.06.2020 में अधिसूचित मौजूदा उद्यमों, सूचना के अद्यतनीकरण और वर्गीकरण में संक्रमण अवधि आदि सहित पंजीकरण प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट I में प्रदान किया गया है. अधिसूचना दिनांक 18.10.2022 भी परिशिष्ट I में प्रदान किया गया है.

(प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकिंग प्रणाली से प्रति उधारकर्ता रु.100.00 करोड़ की कुल मंजूर सीमा तक खाद्य और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ऋण कृषि का हिस्सा होंगे).

3.1.2.6 उद्यम पंजीकरण पोर्टल में एमएसएमई द्वारा पंजीकरण के दौरान, निवेश एवं कुल कारोबार का डाटा या तो आयकर विभाग और जीएसटीएन (उन उद्यमों के लिए जिन्होंने आईटी और जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है) से स्वत: भरा/प्राप्त किया जाता है या स्व-घोषणा के आधार पर दायर किया जाता है (उन उद्यमों द्वारा जिन्होंने अभी तक आईटी और जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है). डाटा जो आईटी विभाग और जीएसटीएन से स्वतः भरा/प्राप्त किया जाता है, वह डाटा है जिसे संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए, जहां आवश्यक हो, सुधार के पश्चात उपरोक्त संबंधित विभागों द्वारा अंतिम रूप दिया गया था.

इस संबंध में, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार (रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा और रिटर्न को आगे संसाधित करने के लिए आवश्यक समय पर विचार करते हुए) ने स्पष्ट किया है कि उद्यम पंजीकरण पोर्टल में डाटा (स्वतः भरा/प्राप्त किया जाता है) के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है जो दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी है:

उद्यम पोर्टल में पंजीकरण का वित्तीय वर्ष और एमएसएमई के रूप में वर्गीकरण	**संबंधित वित्तीय वर्ष से आईटी विभाग और जीएसटीएन से लिया या लिया जाने वाला डेटा (निवेश, कुल कारोबार और निर्यात)**
2020-21	2018-19
2021-22	2019-20
2022-23	2020-21

3.1.2.7. एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन 5/2(2)/2021-E/P&G/नीति (E-19025) दिनांक 02.07.2021 के जरिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत **खुदरा और थोक व्यापार** गतिविधि (एनआईसी कोड) को जोड़ने की अधिसूचना जारी की है और ऐसे उद्यमों को उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण की अनुमति प्रदान की है. [आईसी 2672-2021 दिनांक 06.07.2021]

4. एमएसएमई - प्राथमिकता क्षेत्र को उधार (भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश और आंतरिक दिशानिर्देश)

4.1. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देना बैंक का चुना हुआ क्षेत्र बना रहेगा. बैंक समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) के 40% के समग्र हिस्से या तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर की क्रेडिट समतुल्य राशि, जो भी पिछले वर्ष के अंत में अधिक हो, को पार करने का प्रयास करेगा. इसके अतिरिक्त, प्राथमिकता प्राप्त

क्षेत्र के तहत सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने का उप-लक्ष्य एएनबीसी का 7.5% या तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर की क्रेडिट समतुल्य राशि, जो भी पिछले वर्ष के अंत में अधिक हो, है.

4.2. विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए बैंक ऋण निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के पात्र हैं:

4.2.1. **विनिर्माण उद्यम:**

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट और समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी उद्योग के लिए सामान के निर्माण या उत्पादन में शामिल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम. विनिर्माण उद्यमों को संयंत्र एवं मशीनरी और कुल कारोबार में निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है. (यह स्पष्ट किया जाता है कि एमएसएमई के तहत सभी पात्र विनिर्माण उद्यमों को ऋण जोखिम के आकार के बावजूद प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया जाएगा).

4.2.2. **सेवा उद्यम:**

सभी बैंक एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत उपकरण और कुल कारोबार में निवेश के संदर्भ में परिभाषित सेवाओं को प्रदान करने या उपलब्ध कराने में लगे एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण, बिना किसी क्रेडिट कैप के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत योग्य होंगे.

एक एमएसएमई उद्यम का विनिर्माण या सेवा के रूप में वर्गीकरण मौजूदा नियामक और वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार होगा.

4.2.3. **खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र (केवीआई)**

केवीआई क्षेत्र की इकाइयों के सभी ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत सूक्ष्म उद्यमों के लिए निर्धारित 7.5 प्रतिशत के उप-लक्ष्य के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे.

4.2.4. **एमएसएमई को अन्य वित्त:**

4.2.4.1 कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों के उत्पादों की आपूर्ति और विपणन में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की सहायता करने वाली संस्थाओं को ऋण.

4.2.4.2 विकेंद्रीकृत क्षेत्र में उत्पादकों की सहकारी समितियों को ऋण अर्थात कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग.

4.2.4.3 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए एमएफआई को स्वीकृत ऋण.

4.2.4.4 सामान्य क्रेडिट कार्ड (कारीगर क्रेडिट कार्ड, लघु उद्यमी कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, और बुनकर कार्ड आदि सहित और व्यक्तियों की गैर-कृषि उद्यमशीलता ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए) के तहत बकाया ऋण.

4.2.4.5 प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों के तहत रु. 10,000/- तक के ओवरड्राफ्ट सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने के लक्ष्य की उपलब्धि के रूप में योग्य होंगे.

4.2.4.6 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की कमी के कारण सिडबी और मुद्रा लिमिटेड के पास बकाया जमाराशियां.

4.3. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में औद्योगिक उपक्रमों के वर्गीकरण के उद्देश्य से एक ही व्यक्ति/कंपनी द्वारा स्थापित विभिन्न उद्यमों के निवेशों को मिलाने का प्रावधान नहीं करता है.

4.4. प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश, प्रत्यक्ष समनुदेशन/एकमुश्त खरीद के माध्यम से ऋण आस्तियों के पूल का अंतरण और जोखिम साझाकरण के आधार पर अंतर बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) में निवेश प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि अंतर्निहित परिसंपत्तियां इसके लिए पात्र हों, उसे आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए.

4.5. बैंक द्वारा खरीदे गए बकाया प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि परिसंपत्तियां बैंकों द्वारा उत्पन्न की गई हों और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत होने और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार प्रमाणपत्र के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए पात्र हों.

4.6. एमएसएमई क्षेत्र के लिए तरलता समर्थन बढ़ाने के लिए, टीआरईडीएस (व्यापार प्राप्य भुनाई प्रणाली) के माध्यम से होने वाले फैक्टरिंग लेनदेन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे.

4.7. एक रजिस्टर/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए सभी स्तरों पर एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जिसमें प्राप्ति की तारीख, स्वीकृति/अस्वीकृति/संवितरण के कारण आदि दर्ज किए जाने चाहिए. सभी निरीक्षण एजेंसियों को रजिस्टर/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

4.8. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एमएसएमई ऋण के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों के लिए एक पावती प्रदान की जानी चाहिए और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदकों को लिखित रूप में निर्णय के बारे में सूचित किया जाना चाहिए.

4.9. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण देने के लिए लक्ष्य/उप-लक्ष्य.**

4.9.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों को बिंदु संख्या 4.1 के अनुसार समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य के तहत उपलब्धि के परिकलन के लिए गिना जाता है.

4.9.2 सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने के लिए बैंक को एएनबीसी के 7.5 प्रतिशत या तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर की क्रेडिट समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, का उप-लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है.

4.9.3 एमएसएमई पर प्रधान मंत्री कार्यबल की सिफारिशों के संदर्भ में, बैंक को यह हासिल करना है:

i. सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि,

ii. सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि और

iii. सूक्ष्म उद्यमों को पिछले वर्ष की इसी तिमाही के अनुसार एमएसई क्षेत्र को कुल उधार का 60 प्रतिशत.

इसलिए, इन निर्देशों का पालन करने के सभी प्रयास अक्षरश: किए जाने चाहिए.

5. **एमएसएमई क्षेत्र को उधार देने के लिए सामान्य दिशानिर्देश / निर्देश** (भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश और आंतरिक दिशानिर्देश)

5.1. **एमएसएमई उधारकर्ताओं को ऋण आवेदनों की पावती जारी करना**

- एमएसएमई उधारकर्ताओं द्वारा मैन्युअल रूप से या ऑनलाइन जमा किए गए सभी ऋण आवेदनों की पावती अनिवार्य है.
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक चालू क्रमांक आवेदन पत्र के साथ-साथ पावती रसीद पर भी दर्ज किया गया है.
- बैंक ऋण आवेदनों के केंद्रीय पंजीकरण को प्रोत्साहित करेगा और तकनीकी का उपयोग ऋण आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने, एमएसई ऋण आवेदनों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग के लिए किया जाएगा ताकि टीएटी को मजबूत और ग्राहक अनुभव में सुधार किया जा सके.
- उपरोक्त दिशानिर्देशों को भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों के साथ-साथ बिंदु संख्या 4.6 और 4.7 के तहत पढ़ा जाना चाहिए.

5.2. **क्रेडिट गारंटी योजनाएं**

5.2.1 सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की क्रेडिट गारंटी योजना अगस्त, 2000 में स्थापित की गई थी और भारत सरकार और सिडबी द्वारा इस योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए गए संपार्श्विक मुक्त ऋणों को गारंटी कवर प्रदान करने के उद्देश्य से संवर्धन किया गया था, जो क्रेडिट गारंटी योजना के रूप में जाना जाता है.

5.2.2 इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के माध्यम से अधिसूचित किया है (ए) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए ऋणों की गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से सूक्ष्म इकाइयों (सीजीएफएमयू) को ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी निधि और (बी) स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत दिए गए ऋणों की गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से स्टैंड-अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसआई). साथ ही, भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से लघु और मध्यम उद्यमों में लगे अनुसूचित जाति उद्यमियों के लिए अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना (सीईजीएसएससी) की शुरुआत की है. उपरोक्त योजनाओं को बैंक द्वारा अपनाया गया है. इसके अलावा, सीजीटीएमएसई ने क्रेडिट गारंटी योजना के तहत नया "हाइब्रिड सिक्योरिटी" उत्पाद अर्थात आंशिक संपार्श्विक प्रतिभूति शुरू की है, जिसमें बैंक को क्रेडिट सुविधा के एक हिस्से के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि क्रेडिट सुविधा के शेष हिस्से को अधिकतम रु. 200.00 लाख तक सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवर किया जा सकता है. संशोधनों के साथ सीजीटीएमएसई और अन्य अनुमोदित संस्थानों की क्रेडिट गारंटी योजनाओं की मौजूदा विशेषताओं को एमएसएमई विभाग द्वारा समय-समय पर संप्रेषित किया जाता है.

5.2.3 ऋण गारंटी योजना के लिए एक उपकरण (टूल) है:

i. ऋण संविभाग का विस्तार
ii. जोखिम का बेहतर प्रबंधन
iii. देय राशि की शीघ्र वसूली
iv. लाभप्रदता में वृद्धि

5.2.4 एमएसई क्षेत्रों में इकाइयों को दिए गए रु.10 लाख तक के ऋण के मामले में कोई संपार्श्विक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए (चाहे क्रेडिट गारंटी योजना के तहत पात्र हों या नहीं). साथ ही, केवीआईसी द्वारा प्रशासित प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत वित्तपोषित सभी इकाइयों को रु. 10 लाख तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान किए जाने चाहिए. इसके अतिरिक्त, शाखाओं/कार्यालयों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए गए रु. 25 लाख तक के सभी ऋणों को कवर करना चाहिए और वे बिना किसी अपवाद के सीजीटीएमएसई या अन्य अनुमोदित संस्थानों की गारंटी योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं. यदि कोई अपवाद है, तो वह केवल उनके क्षेत्रीय प्रमुख की पूर्व अनुमति से ही होना चाहिए.

5.2.5 शाखाएं/कार्यालय क्रेडिट गारंटी कवर की उपलब्धता, उधारकर्ताओं के ट्रैक रिकॉर्ड की संतुष्टि और अच्छी वित्तीय स्थिति के अधीन एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत रु. 200 लाख तक की संपार्श्विक मुक्त क्रेडिट सीमा प्रदान कर सकते हैं.

5.2.6 एमएसई खातों की संख्या में संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने और क्रेडिट गारंटी योजना के तहत इसे कवर करने के लिए, क्षेत्रों को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत खातों को कवर करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. क्षेत्रों द्वारा इन लक्ष्यों को अपने क्षेत्राधिकार में शाखाओं के बीच वितरित किया जाना चाहिए. इसी प्रकार, शाखा स्तर के कर्मियों को नियंत्रक कार्यालयों द्वारा क्रेडिट गारंटी योजना कवर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है और क्रेडिट गारंटी योजना के तहत खातों के कवरेज के संबंध में क्षेत्र कर्मियों के कार्यनिष्पादन को क्षेत्र कर्मियों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु एक पैरामीटर के रूप में माना जाना है.

5.2.7 **सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (सीजीएफएमयू):**

सीजीएफएमयू योजना के तहत, रु. 10 लाख तक स्वीकृत मुद्रा ऋण के लिए संविभाग के आधार पर गारंटी कवरेज उपलब्ध है. वर्तमान में, हमारे बैंक में सीजीएफएमयू से नई क्रेडिट गारंटी प्राप्त करना केवल कृषि संबद्ध गतिविधियों हेतु स्वीकृत पीएमएमवाई ऋणों और पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट तक ही सीमित है. तथापि ये कवरेज दिशानिर्देश प्रकृति में गतिशील हैं और समय-समय पर एमएसएमई विभाग द्वारा संप्रेषित की गई परिचालन व्यवहार्यता के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं.

5.2.8 **स्टैंडअप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसआई):**

स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत ऋण देने की गति को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने स्टैंडअप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसआई) शुरू की है. यह संविभाग के आधार पर स्टैंड-अप इंडिया के तहत स्वीकृत सभी पात्र खातों को क्रेडिट गारंटी कवरेज की सुविधा प्रदान करता है. यह गारंटी कवरेज रु.10 लाख से रु.100 लाख के बीच स्वीकृत ऋण के लिए उपलब्ध है.

{हमारे बैंक में, वर्तमान में स्टैंड अप इंडिया के तहत नए पात्र खाते सीजीटीएमएसई के तहत कवर किए जा रहे हैं}

5.2.9 **अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना (सीईजीएसएससी):**

इस योजना की परिकल्पना लघु और मध्यम उद्यमों में लगे अनुसूचित जाति के उद्यमियों को सावधि ऋण या समग्र ऋण (सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी सुविधा और गैर-निधि आधारित सुविधा का संयोजन) प्रदान करने के लिए की गई है. वित्तीय सहायता के लिए विनिर्माण / व्यापार / सेवा क्षेत्र में लगे उधारकर्ता पर विचार किया जा सकता है. कार्यशील पूंजी और गैर-निधि आधारित सुविधा का लाभ स्वतंत्र रूप से नहीं केवल सावधि ऋण सुविधा के साथ लिया जा सकता है.

5.2.10 **स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना - लेनदेन आधारित**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग-डीपीआईआईटी) ने स्टार्टअप को गारंटी कवर प्रदान करने के लिए 'स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना' (सीजीएसएस) की शुरुआत की है, जो प्रति उधारकर्ता रु.10.00 करोड़ के अधिकतम कवरेज के अधीन है.

इस निधि एवं योजना का प्रबंधन और संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा किया जाएगा, जो भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली ट्रस्टी कंपनी है.

सीजीएसएस का व्यापक उद्देश्य पात्र स्टार्टअप को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा दिए गए क्रेडिट उपकरणों के लिए एक निर्दिष्ट सीमा तक गारंटी प्रदान करना है. यह योजना स्टार्टअप को आवश्यक संपार्श्विक मुक्त ऋण निधि प्रदान करने में मदद करेगी.

सीजीटीएमएसई, सीजीएफएमयू, सीजीएसएसआई, सीईजीएसएससी और सीजीएसएस पर विस्तृत दिशानिर्देश आवधिक आधार पर कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को संप्रेषित किए जाते हैं.

5.2.11 सरकार की विभिन्न क्रेडिट ऋण गारंटी योजनाएं/ब्याज योजनाएं आवधिक परिवर्तन के अधीन हैं. इसे देखते हुए, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (एमएसएमई) वैधानिक/विनियामक निर्देशों के अनुरूप गारंटी योजनाओं/ब्याज योजनाओं के दिशानिर्देशों में किसी भी बदलाव को लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे.

5.3. **सम्मिश्र ऋण**

- एमएसएमई को रु. 1.00 करोड़ तक का एक सम्मिश्र ऋण, जिसमें सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों शामिल हैं, को एकल खिड़की के माध्यम से स्वीकृत किया जा सकता है जो प्रत्यायोजित प्राधिकरण के अनुसार उधारकर्ता के ट्रैक रिकॉर्ड और वित्तीय स्थिति पर आधारित है. जिन शाखाओं/कार्यालयों ने एकल या संयुक्त रूप से सावधि ऋण स्वीकृत किया है, वे व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने में देरी से बचने के लिए एकल (या संयुक्त रूप से) कार्यशील पूंजी सीमा को भी मंजूरी दे सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे कोई मामले नहीं हैं जहां सावधि ऋण स्वीकृत किया गया है और कार्यशील पूंजी की सुविधा अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है.

5.4. **विशिष्ट एमएसएमई शाखाएं**

5.4.1. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेष शाखा खोली जानी है और इस क्षेत्र को समग्र रूप से बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र के 60% या अधिक अग्रिम वाली सामान्य बैंकिंग शाखाओं को विशेष एमएसएमई शाखाओं के रूप में वर्गीकरण करने की अनुमति है.

5.4.2. चिन्हित क्लस्टर/ऐसे केंद्र जहां छोटे उद्यमों का प्राबल्य हो, में विशिष्ट एमएसएमई शाखाओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि उद्यमियों को बैंक ऋण तक आसान पहुंच प्राप्त हो सके और बैंक कर्मियों को अपेक्षित विशेषज्ञता विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके.

5.4.3. बैंक द्वारा मौजूदा विशिष्ट एसएसआई शाखाओं की भी पहचान एमएसएमई कारोबार बैंकिंग शाखाओं के रूप में की जाती है. यद्यपि उनकी मुख्य क्षमता का उपयोग एमएसएमई क्षेत्र को वित्त और अन्य सेवाओं प्रदान के लिए किया जाएगा, उनके लिए अन्य क्षेत्रों/उधारकर्ताओं को भी वित्त/अन्य सेवाएं प्रदान करने हेतु परिचालन लचीलापन होगा. बैंक ने ईज (एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेन्स) सुनिश्चित करने के लिए सरकार के "रिस्पोन्सिव एवं रिस्पोन्सिबल पीएसबी के लिए सुधार एजेंडा" के अनुसार सभी क्षेत्रों के लिए 200 एमएसएमई केंद्रित शाखाएं (एमएफबी) की पहचान की है.

5.4.4. तदनुसार, बैंक की क्रेडिट केंद्रित शाखाएं हैं, जिन्हें कारोबार बैंकिंग शाखाओं (बीबीबी) के रूप में जाना जाता है, जो एमएसएमई क्षेत्र को वित्त और अन्य सेवाएं प्रदान करने पर विशेष ध्यान देते हैं और अन्य क्षेत्रों/उधारकर्ताओं को वित्त/अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए परिचालन लचीलापन रखते हैं. क्षेत्र प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि बीबीबी/एमएफबी को एमएसएमई वित्त में सुधार के लिए विशेष रूप से भर्ती किए गए क्रेडिट अधिकारी / या एमएसएमई ग्राहकों को त्वरित सेवा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित क्रेडिट अधिकारी प्रदान किए जाते हैं.

5.4.5. प्रत्येक कारोबार बैंकिंग शाखा (बीबीबी) और एमएसएमई केंद्रित शाखा (एमएफबी) में शीर्ष 20 एमएसएमई खातों की निगरानी और समर्पित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नामित एकल-बिंदु एमएसएमई संपर्क अधिकारी होना चाहिए.

5.4.6. क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित बीबीबी और एमएफबी से संबंधित शीर्ष 20 एमएसएमई खातों की निगरानी के लिए प्रत्येक बीबीबी और एमएफबी के लिए एमएसएमई संपर्क अधिकारी नामित करें.

5.4.7. **यूनियन एमएसएमई फर्स्ट ब्रांच:** एमएसएमई को ऋण देने की दिशा में ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से, बैंक ने यूनियन एमएसएमई फर्स्ट ब्रांच (यूएमएफबी) की शुरुआत की है.

- यूएमएफबी एमएसएमई से संबंधित ऋण, जमा, तीसरे पक्ष के उत्पादों और अन्य बैंकिंग गतिविधियों को पूरा करेगा.
- केवल एमएसएमई ऋण उत्पाद (एमएसएमई इकाई को दिए गए खुदरा ऋण सहित) शाखा में उपलब्ध होंगे.
- शाखा एमएसएमई इकाई के प्रवर्तकों/स्टाफ सदस्यों/परिवार की खुदरा लीड एवं खुदरा आवश्यकता के लिए निकटतम सामान्य बैंकिंग शाखा को संदर्भित करेगी.
- शाखा की अध्यक्षता सहायक महाप्रबंधक/मुख्य प्रबंधक करेंगे और इसमें एमएसएमई ग्राहकों की सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने हेतु एक समर्पित संपर्क (रिलेशनशिप) प्रबंधक (आरएम) होगा.
- शाखा के लिए नए एमएसएमई कनेक्शनों के प्रचार के लिए समर्पित एमएसएमई विपणन प्रबंधकों (एमएमएम) को तैनात किया जाएगा.
- एसएमए खाते की निगरानी और एनपीए खातों में वसूली पहल की अगुवाई करने के लिए समर्पित संग्रह (कलेक्शन) अधिकारी को तैनात किया जाएगा.

एमएसएमई के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए धीरे-धीरे एमएफबी/बीबीबी के स्थान पर यूएमएफबी संरचना में माइग्रेट करने का बैंक का प्रस्ताव है.

5.5. विलंबित भुगतान

5.5.1. लघु स्तर के और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज के संशोधन अधिनियम, 1998 के तहत, एमएसएमई इकाइयों को विलंबित भुगतानों से जूझने के लिए दंडात्मक प्रावधानों को शामिल

किया गया है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी), अधिनियम 2006, के अधिनियमन के पश्चात, लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज के अधिनियम, 1998 के मौजूदा प्रावधानों को निम्नानुसार मजबूत किया गया है.

i. खरीदार को आपूर्तिकर्ता को उसके और आपूर्तिकर्ता के बीच लिखित में सहमति की तारीख को या उससे पहले भुगतान करना होगा या, कोई समझौता नहीं होने की स्थिति में, नियत दिन से पहले भुगतान करना होगा. आपूर्तिकर्ता और खरीदार के बीच सहमति की अवधि स्वीकृति की तारीख या स्वीकृति के दिन से पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं होगी.

ii. यदि खरीदार आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह नियत दिन से या सहमत तिथि पर, रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना पर आपूर्तिकर्ता को मासिक अंतराल के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

iii. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए किसी भी सामान या सेवाओं के लिए, खरीदार ऊपर (ii) में दी गई सलाह के अनुसार ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

iv. किसी भी देय राशि के संबंध में विवाद के मामले में, संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद को संदर्भित किया जाएगा.

5.5.2. शाखाओं/कार्यालयों को विशेष रूप से एमएसएमई से खरीद के संबंध में भुगतान दायित्व को पूरा करने के लिए बड़े उधारकर्ताओं को स्वीकृत समग्र कार्यशील पूंजी सीमा के भीतर उप-सीमा तय करना होगा.

5.6. एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए ढांचा

5.6.1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 29 मई, 2015 की अपनी राजपत्र अधिसूचना के जरिए एमएसएमई के खातों में दबाव को दूर करने और एमएसएमई के प्रचार एवं विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सरल एवं तेज तंत्र प्रदान करने हेतु 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए ढांचा' अधिसूचित किया है. रिज़र्व बैंक ने रु. 25 करोड़ तक की ऋण सीमा वाली एमएसएमई इकाइयों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए 17 मार्च, 2016 को परिचालन निर्देशों के साथ उपर्युक्त ढांचे पर दिशानिर्देश जारी किए हैं. संशोधित ढांचा रुग्ण सूक्ष्म और लघु उद्यमों के पुनर्वास पर आरबीआई परिपत्र RPCD. CO. MSME & NFS.BC. 40/06.02.31/2012-2013 दिनांक 1 नवंबर, 2012 के जरिए जारी किए गए पहले के दिशानिर्देशों का स्थान लेता है, जो संभावित रूप से व्यवहार्य इकाइयों के पुनर्वास के लिए राहत एवं रियायतों और 'एसएमई के लिए ऋण पुनर्गठन तंत्र पर नीति' में उल्लिखित एकमुश्त निपटान से संबंधित हैं.

ढांचा (फ्रेमवर्क) की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. किसी एमएसएमई के ऋण खाते को अनर्जक आस्ति (एनपीए) में बदलने से पहले, बैंकों या लेनदारों को ढांचा में निर्दिष्ट अनुसार विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) श्रेणी के तहत तीन उप-श्रेणियां बनाकर खाते में प्रारंभिक दबाव की पहचान करनी चाहिए.
ii. कोई भी एमएसएमई उधारकर्ता स्वेच्छा से भी इस ढांचे के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है.
iii. सुधारात्मक कार्य योजना तय करने के लिए समिति का दृष्टिकोण अपनाया जाना है.
iv. ढांचा के तहत विभिन्न निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय की गई है.

बैंक ने नवीनतम आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क पर एक अलग नीति बनाई है.

5.6.2. व्यवहार्य / संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण एमएसई इकाइयों के समय पर पुनर्वास के लिए, रुग्ण सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए निगरानी/ रुग्ण इकाइयों की पहचान / प्रारंभिक रुग्णता, व्यवहार्यता अध्ययन, अनुवर्ती कार्रवाई आदि करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में एमएसई पुनर्वास कक्ष.

5.6.3. आरबीआई के परिपत्र संदर्भ संख्या. RBI/2018-19/203 DBR.No.BP.BC.45/21. 04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के जरिए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क पर जारी खंड I(B) (संकल्प योजना का कार्यान्वयन), I(C) (संकल्प योजना के कार्यान्वयन की शर्तें) एवं I (D) (संकल्प योजना का विलंबित कार्यान्वयन) इस ढांचे के तहत एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास पर लागू नहीं होंगे.

एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए ढांचा पर विस्तृत दिशानिर्देश एक अलग नीति अर्थात एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए ढांचा पर नीति के जरिए जारी किए गए हैं.

5.7. **सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को वित्तीय साक्षरता और परामर्श सहायता की अनिवार्यता.**

5.7.1. एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय अपवर्जन की उच्च सीमा को ध्यान में रखते हुए, यह अनिवार्य है कि अपवर्जित इकाइयों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के दायरे में लाया जाए.

5.7.2. वित्तीय साक्षरता, परिचालन कौशल, जिसमें लेखांकन और वित्त, व्यवसाय योजना आदि शामिल हैं, की कमी एमएसई उधारकर्ताओं के लिए एक विकट चुनौती को पेश करती है जो इन महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों में सुविधा की आवश्यकता को रेखांकित करती है.

5.7.3. इसके अलावा, पैमाने और आकार की अनुपस्थिति के कारण एमएसई उद्यम इस संबंध में और अधिक बाधाग्रस्त है.

5.7.4. इन बाधाओं को प्रभावी ढंग से और निर्णायक रूप से संबोधित करने के लिए, तुलनात्मक लाभ के अनुसार शाखाओं में एक विशेष कक्ष, या वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) में इस कार्य का वर्टिकल एकीकरण स्थापित किया जाना है.

5.7.5. बैंक कर्मचारियों को इस क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना है.

5.7.6. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) [विस्तृत जानकारी https://gem.gov.in पर उपलब्ध है] विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद है. जीईएम सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति बढ़ाएगा. यह ई-बोली और रिवर्स ई-नीलामी के साथ-साथ सरकारी उपयोगकर्ताओं को पैसे के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने की सुविधा हेतु मांग एकत्रीकरण के लिए उपकरण भी प्रदान करेगा. हमारे एमएसएमई ग्राहकों को सलाह दी जाए कि वे बाजार में पहुंच की आसान सुविधा के लिए स्वयं को जीईएम में पंजीकृत कराएं.

5.8. **एमएसई क्षेत्र में ऋण वृद्धि की निगरानी के लिए संरचित तंत्र**

5.8.1 क्षेत्र में ऋण वृद्धि की निगरानी के लिए मौजूदा प्रणालियों को प्रत्येक पर्यवेक्षी स्तर (शाखा, क्षेत्र, अंचल, केंद्रीय कार्यालय) पर प्रणाली संचालित व्यापक कार्यनिष्पादन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) द्वारा मजबूत किया जाना है, जिसका नियमित आधार पर गंभीर मूल्यांकन किया जाना है.

5.8.2 एमएसई ऋण आवेदनों की ई-ट्रैकिंग और ऋण आवेदन निपटान प्रक्रिया की निगरानी, शाखा-वार, क्षेत्र-वार, अंचल-वार और राज्य-वार स्थिति प्रदान करने की प्रणाली स्थापित की जानी है. इस संबंध में स्थिति को बैंक की वेबसाइटों में प्रदर्शित किया जाना है.

5.8.3 बिंदु 5.6 के तहत विचार-विमर्श की गई रुग्ण एमएसई इकाइयों के समय पर पुनर्वास की निगरानी की जानी है. रुग्ण एमएसई इकाइयों के पुनर्वास में प्रगति को बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना है.

5.9 **एमएसएमई पर अधिकार प्राप्त समिति**

5.9.1 भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशकों की अध्यक्षता में एमएसएमई पर अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया गया है, जिसमें एसएलबीसी संयोजक के प्रतिनिधि, राज्य में एमएसएमई वित्तपोषण में प्रमुख हिस्सेदारी वाले दो बैंकों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, सिडबी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के उद्योगों के निदेशक, राज्य में एमएसएमई संघों के एक या दो वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधि, और सदस्य के रूप में एसएफसी/एसआईडीसी के एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल हैं.

5.9.2 यह समिति समय-समय पर बैठक करेगी एवं एमएसएमई वित्तपोषण में प्रगति की समीक्षा करेगी और साथ ही रुग्ण सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के पुनर्वास की भी समीक्षा करेगी.

5.9.3 यह क्षेत्र ऋण के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु बाधाएं, यदि कोई हो, को दूर करने में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकार के साथ समन्वय करेगा.

5.9.4 ये समितियां क्लस्टर/जिला स्तर पर समान समितियों की आवश्यकता पर निर्णय ले सकती हैं.

5.10 **क्लस्टर दृष्टिकोण**

5.10.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिह्नित क्लस्टरों, जहां हमारा बैंक एक एसएलबीसी संयोजक है, में ऋण आवश्यकता को वार्षिक ऋण योजना में शामिल किया जाना है.

5.10.2 एमएसई क्षेत्र की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पूर्ण-सेवा दृष्टिकोण को 4-सी दृष्टिकोण अर्थात् ग्राहक फोकस, लागत नियंत्रण, क्रॉस सेल और कंटेन रिस्क को अपनाकर मान्यता प्राप्त एमएसई समूहों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है.

ऋण देने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अधिक लाभदायक हो सकता है:

i. अच्छी तरह से परिभाषित और मान्यता प्राप्त समूहों से निपटने में
ii. जोखिम मूल्यांकन के लिए उपयुक्त सूचना की उपलब्धता और
iii. ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा निगरानी.

क्लस्टरों की पहचान व्यापार रिकॉर्ड, प्रतिस्पर्धा और विकास की संभावनाओं और/या अन्य क्लस्टर विशिष्ट डाटा जैसे कारकों के आधार पर की जा सकती है.

5.10.3. एमएसएमई क्षेत्र, जहां हमारा बैंक एक एसएलबीसी संयोजक है, को ऋण देने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा की जानी है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) द्वारा पहचाने गए 388 क्लस्टर, जो देश के विभिन्न हिस्सों में सभी राज्यों में फैले हैं.

5.10.4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने विभिन्न अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थित पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (एसएफ़यूआरटीआई) और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के तहत क्लस्टरों की एक सूची को मंजूरी दी है.

5.10.5. प्रधान मंत्री टास्क फोर्स की सिफारिश के अनुसार विभिन्न एमएसई क्लस्टरों में अधिक एमएसई केंद्रित शाखाएं खोली जानी हैं, जो एमएसई के लिए परामर्श केंद्र के रूप में भी कार्य कर सकती हैं. इसके अतिरिक्त, तुलनात्मक लाभ के अनुसार कम से कम एक एमएसई क्लस्टर उस जिले में अपनाया जा सकता है जहां हमारा बैंक अग्रणी बैंक है.

5.10.6. भारत सरकार के नीति आयोग ने सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आकांक्षी जिलों की पहचान की है. यह कार्यक्रम वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास विषय सहित 5 विषयों पर केंद्रित है. सरकार के ईज (EASE) एजेंडा के तहत मुद्रा ऋणों के संवितरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ छोटे व्यवसायों (एमएसएमई) के लिए संस्थागत वित्तपोषण की पहुंच एवं सुगमता का एक कार्य बिंदु है. आवश्यक ध्यान केंद्रित करने हेतु एमएसएमई विभाग द्वारा समय-समय पर आकांक्षी जिलों की सूची क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय को प्रेषित की जाती है.

5.10.7. एमएसई क्लस्टरों के विकास में बैंक द्वारा की गई पहलों पर नीति के बिंदु संख्या 6.5 में चर्चा की गई है.

5.11 क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) / विशेष क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस)

5.11.1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के तकनीकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) की शुरूआत की है और यह दिनांक 31.03.2021 तक वैध थी. इस योजना को बाद में भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था:

विशेष क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस) को निम्नलिखित विशेषताओं के साथ राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच) के तहत एससी/एसटी एमएसई को 25% सब्सिडी के विशेष प्रावधान के साथ शुरू की गई है:

i. यह योजना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के एससी/एसटी एमएसई को कवर करेगी. इस सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए वैध उद्यम पंजीकरण आवश्यक है.
ii. इस योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा रु.1 करोड़ है. रु.1.00 करोड़ की ऋण सीमा तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सभी इकाइयों के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मामले में सब्सिडी की दर 25% है.

5.11.2. बैंक कनॉट सर्कस शाखा, नई दिल्ली के साथ नोडल शाखा के रूप में इस योजना को कार्यान्वित कर रहा है. इस योजना की विस्तृत जानकारी समय-समय पर अलग-अलग दिशानिर्देशों के माध्यम से परिचालित की जाती है.

6. एमएसएमई को ऋण प्रदान करते हेतु बैंक की पहल:

बैंक ने एमएसएमई को ऋण की वृद्धि के लिए विभिन्न पहलें की हैं जो इस प्रकार हैं:

6.1. **केंद्रीय कार्यालय में अलग संगठनात्मक ढांचा की स्थापना**

चयनित कारोबार बैंकिंग शाखाओं, एमएसएमई केंद्रित शाखाओं, यूनियन एमएसएमई फ़र्स्ट ब्रांच और एमएसएमई कारोबार वाली अन्य शाखाओं के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एमएसएमई वर्टिकल स्थापित किया गया है.

6.2. **कारोबार बैंकिंग शाखाएं और एमएसएमई केंद्रित शाखाएं:**

वर्तमान में बैंक की 224 कारोबार बैंकिंग शाखाएं (बीबीबी) और 200 एमएसएमई केंद्रित शाखाएं (एमएफबी) और 105 यूनियन एमएसएमई फ़र्स्ट ब्रांच (यूएमएफबी) हैं. सभी क्षेत्रों में एक एमएसएमई केंद्रित शाखा की पहचान की गई है. कारोबार की वृद्धि के लिए इन शाखाओं का उनके नियंत्रक कार्यालयों के अलावा सीधे केंद्रीय कार्यालय द्वारा अनुश्रवण किया जाता है.

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद एमएसएमई वर्टिकल द्वारा कारोबार बैंकिंग शाखाओं और एमएसएमई केंद्रित शाखाओं की संख्या/सूची में संशोधन किया जा सकता है. धीरे-धीरे, बैंक एमएसएमई के विकास पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एमएफबी/बीबीबी के स्थान पर यूएमएफबी संरचना में जाने का प्रस्ताव करता है.

उपरोक्त के अतिरिक्त, बैंक ने विशेष मिड-कॉर्पोरेट शाखाओं (एमसीबी) की स्थापना की है जो बड़े मूल्य के एमएसएमई क्रेडिट को भी पूरा करती है.

6.3. **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)**

6.3.1 माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) एक सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय संस्थान है, जिसे प्रधान मंत्री द्वारा 08-04-2015 को शुरू किया गया था. इस एजेंसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य "अनिधिक का निधीयन" और "अनौपचारिक को औपचारिक" बनाना है. मुद्रा का उद्देश्य 'लास्ट माइल वित्तीय संस्थानों' को पुनर्वित्त/वित्त प्रदान करना है जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के वित्तपोषण के व्यवसाय में हैं. तदनुसार, मुद्रा देश में सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करेगी.

6.3.2 मुद्रा ने ऋण की राशि के आधार पर सूक्ष्म इकाइयों में एक्सपोजर को विभिन्न रूप में वर्गीकृत किया है. इस वर्गीकरण का विवरण निम्नानुसार है:

i. **शिशु:** रु. 50,000/- तक की ऋण राशि
ii. **किशोर:** रु. 50000/- रुपये से अधिक एवं रु. 5.00 लाख तक की ऋण राशि
iii. **तरुण:** रु. 5.00 लाख से अधिक एवं रु.10.00 लाख तक की ऋण राशि

6.3.3 दिनांक 08-04-2015 को या उसके पश्चात प्रदान की गई रु.10.00 लाख तक की कुल ऋण सीमा के साथ सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान की गई सभी ऋण सुविधाओं को पीएमएमवाई के तहत सूचित किया जाना है. आईबीए द्वारा एक अलग मुद्रा ऋण आवेदन तैयार किया गया है, जिसे बैंक द्वारा अपनाया गया है.

6.3.4 मुद्रा लिमिटेड ने "मुद्रा कार्ड" नामक एक उत्पाद की भी संकल्पना बनाई है. यह को-ब्रांडेड कार्ड बैंक द्वारा जारी किया जाएगा जो पात्र उधारकर्ता को कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लचीले तरीके से ऋण प्राप्त करने में मदद करेगा.

6.3.5 मंत्रालय के निर्देशों सहित प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत परिचालन दिशानिर्देश समय-समय पर एमएसएमई विभाग द्वारा संप्रेषित किया जाएगा.

6.4. **स्टैंडअप इंडिया**

स्टैंड अप इंडिया भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई एक पहल है जिसका मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है. स्टैंडअप इंडिया योजना ग्रीनफील्ड परियोजना शुरू करने हेतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला लाभार्थियों के लिए रु. 10 लाख से रु. 100 लाख के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है. यह उद्यम विनिर्माण, सेवाएं या व्यापार क्षेत्र में हो सकता है.

6.5. **स्टार्ट-अप इंडिया**

आर्थिक रूप से व्यवहार्य कारोबारी इकाइयों को उनकी आवश्यकता आधारित व्यावसायिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक बैंक योग्य प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु एक नई एमएसएमई योजना "यूनियन स्टार्ट अप" की शुरूआत की गई है. भारत सरकार (जीओआई) द्वारा शुरू की गई स्टार्ट-अप इंडिया योजना के अनुसार संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा इकाई को "स्टार्ट-अप" के रूप में पात्र एवं प्रमाणित होनी चाहिए.

6.6. **एमएसएमई के लिए सरलीकृत सामान्य ऋण आवेदन फॉर्म**

6.6.1 भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की प्रबंध समिति ने एमएसएमई के लिए एक सरलीकृत सामान्य ऋण आवेदन फॉर्म को मंजूरी दी है जिसका उपयोग बैंक द्वारा रु. 2.00 करोड़ तक के ऋण के लिए किया जाएगा.

6.6.2 बैंक ने उक्त को अपनाया है और उपयोग के लिए सभी शाखाओं में परिचालित किया है.

6.6.3 इसकी एक प्रति बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

6.6.4 सभी शाखाएं एमएसएमई के लिए अनिवार्य रूप से सरलीकृत सामान्य ऋण आवेदन फॉर्म का उपयोग करेंगी. तथापि, एमएसएमई अपनी सुविधा के अनुसार, जहां भी लागू हो, सरल दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण आवेदन पत्र का उपयोग कर सकते हैं.

6.7. **ऑनलाइन आवेदन सुविधा**

6.7.1 **एमएसएमई आवेदकों के लिए:**

बैंक ने एमएसई उद्यमियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल की शुरुआत की है. अब एमएसई आवेदनकर्ताओं के पास ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा है और वे किसी भी समय अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.

मॉड्यूल के तहत, आवेदनकर्ता के लिए एमएसई के लिए संपूर्ण आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध है. आवेदनकर्ता अपनी पसंदीदा शाखा चुन सकता है और पूरे आवेदन फॉर्म पत्र को भरेगा. सिस्टम द्वारा एक अनोखा संदर्भ संख्या जेनरेट की जाएगी जिसके माध्यम से आवेदनकर्ता अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकता है. ऑनलाइन पावती भी जेनरेट की जाएगी.

रु. 200.00 लाख तक की ऋण आवश्यकता वाले एमएसई ऋण आवेदनों के लिए ऑनलाइन ऋण आवेदन सुविधा प्रदान किया गया है.

6.11.1.ए बैंक द्वारा यू-मोबाइल, वेबसाइट और टैब पर मुद्रा ऋण के लिए ऑनलाइन ऋण आवेदन सुविधा शुरू की गई है. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में उस शाखा का चयन करने का प्रावधान होगा, जहां ग्राहक द्वारा 'मुद्रा ऋण' सुविधा का लाभ उठाने का प्रस्ताव है.

6.11.1.बी बैंक का नवीन वित्तीय प्रौद्योगिकियों के विकास में लगी फिनटेक कंपनियों के साथ टाई-अप और एक संपूर्ण क्रेडिट वितरण समाधान को प्रदान करने का लक्ष्य है. बैंक ने "psbloansin59minutes.com"/ "psbloansin59minutes.com/unionbank" पोर्टल पर ऑन-बोर्ड किया है. इंटरफ़ेस एमएसएमई उधारकर्ताओं को निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है. इस पोर्टल में जीएसटी, आय कर, बैंक विवरण विश्लेषक, एमसीए आदि जैसे कई चैनलों का अंतर्निर्मित एकीकरण है. विषयगत पोर्टल के उपयोग के लिए विस्तृत परिचालन तौर-तरीके पहले से ही अलग से जारी किए गए हैं.

6.11.1.सी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) एक प्रमुख तकनीकी प्रगति है, जिसका उपयोग बैंकों द्वारा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऋण प्रस्तावों को शुरू से अंत तक डिजिटल रूप से संसाधित करने के लिए किया जाता है. बैंक ने रु. 5.00 करोड़ तक की ऋण सुविधा की मांग करने वाले नए के साथ-साथ मौजूदा एमएसएमई ग्राहकों के लिए एसटीपी सुविधा की शुरुआत की है. बैंक की वेबसाइट / यू-मोबाइल में होस्ट किए गए लिंक के माध्यम से ऋण सुविधा का आवेदन किया जा सकता है और ग्राहक सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त कर सकता है. एसटीपी सुविधा उद्योग में अपनी तरह की अनूठी सुविधा है जो निर्बाध एवं तत्काल अनुमोदन प्रदान करती है.

6.11.1.डी बैंक ने शिशु मुद्रा ऋण के लिए एक समर्पित एसटीपी ऋण सुविधा भी स्थापित की है. यह बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए 'शुरू से अंत तक डिजिटल ऋण' सृजन प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए वे मोबाइल एवं वेब एप्लिकेशन इंटरफेस के माध्यम से रु. 50,000/- तक का ऋण स्व-सेवा मोड में प्राप्त कर सकते हैं.

6.11.1.ई. बैंक ने किशोर और तरुण मुद्रा ऋणों के लिए एक समर्पित एसटीपी ऋण सुविधा भी शुरू की है. यह बैंक के मौजूदा एवं नए ग्राहकों को सेल्फ सर्विस-मॉड में मोबाइल और वेब एप्लिकेशन इंटरफेस के माध्यम से रु.10.00 लाख के ऋण प्राप्त करने में सक्षम करने के लिए एक 'एंड-टू-एंड डिजिटल ऋण' उत्पत्ति प्लेटफॉर्म है.

बैंक ने हमारे मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन व्योम के माध्यम से यूनियन नारी शक्ति और यूनियन जीएसटी गेन योजना के लिए भी समर्पित एसटीपी सुविधा प्रदान की है.

6.7.2 **स्टैंडअपमित्र:**

भारत सरकार ने एक वर्चुअल मार्केट प्लेस, स्टैंडअपमित्र पोर्टल का अनावरण किया है, जहां एमएसएमई उद्यमी https://www.standupmitra.in/ के जरिए ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसे बैंकर्स और स्टैंडअपमित्र टीम द्वारा एक्सेस किया जा सकता है. उद्यमियों द्वारा दी गई वरीयता के अनुसार संबंधित बैंक/शाखा को प्रसंस्करण, मंजूरी और संवितरण के लिए प्रस्ताव लेना होता है. साथ ही उक्त को पोर्टल पर अपडेट किया जाना है. ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के सत्यापन के लिए सभी शाखाओं को दैनिक आधार पर पोर्टल में लॉग इन करना होगा.

6.7.3 **उद्यमीमित्र:**

उद्यमीमित्र सिडबी द्वारा विकसित एक पोर्टल है जो एमएसएमई उद्यमियों द्वारा विभिन्न बैंकों के साथ ऑनलाइन ऋण आवेदन जमा करने के लिए है, जिसे https://udyamimitra.in/ के जरिए एक्सेस किया जा सकता है.

6.8. **ऋण सीमाओं का आकलन**

6.8.1 ऋण सीमा के आकलन हेतु लागू उधार पद्धतियों और अन्य संबंधित मामलों पर बैंक की ऋण नीति में विस्तार से चर्चा की गई है. इसलिए, उन्हें दोहराया नहीं जा रहा है और ऋण नीति से संदर्भित किया जा सकता है.

6.8.2 नायक समिति की रिपोर्ट के अनुसार, एमएसई इकाइयों हेतु कार्यशील पूंजी सीमा की गणना उनके अनुमानित कुल कारोबार के न्यूनतम 20% के आधार पर रु. 5 करोड़ की ऋण सीमा तक की जानी है. बैंकिंग प्रणाली से रु. 100 लाख तक की कार्यशील पूंजी सुविधाओं की आवश्यकता वाले गैर एमएसई उधारकर्ताओं के लिए निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा की मंजूरी के लिए कुल कारोबार पद्धति लागू की जाएगी. अन्यथा, लागू उधार पद्धतियां जैसे कि लचीले बैंक वित्त, नकद बजट पद्धति आदि का पालन किया जाना है. यदि किसी योजना में मूल्यांकन के किसी अन्य तरीके की अनुमति दी जाती है, तो वहां योजना के तहत निर्धारित मूल्यांकन मान्य होगा.

6.8.3 एमएसई द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं को कम करने और भारत सरकार द्वारा वांछित डिजिटल पुश का समर्थन करने के लिए, बैंक ने एक नई योजना "यूनियन टर्नओवर प्लस" की शुरूआत की है, ताकि अनुमानित/स्वीकृत बिक्री कुल कारोबार के आधार पर 3 महीने से अधिक की कार्यशील पूंजी चक्र वाले ऐसे एमएसई की आवश्यकता आधारित आवश्यकता अपेक्षा पूरी की जा सके, जो अपने व्यावसायिक लेनदेन के लिए डिजिटल कैशलेस चैनल अपना रहे हैं. इन योजनाओं के तहत, बैंक वित्तपोषण डिजिटल भाग के 30% तक एवं अनुमानित बिक्री के शेष भाग के 25% पर विचार किया जाएगा. कर सुधारों में सरकार की पहल को आगे बढ़ाने के लिए, बैंक ने जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए यूनियन जीएसटी गेन योजना शुरू की है, जिसमें जीएसटी रिटर्न के अनुसार कुल कारोबार के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है.

6.8.4 बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए सावधि ऋण पर विचार किया जा सकता है.

6.8.5 बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए तुलन पत्र से इतर सुविधाएं जैसे साख पत्र, बैंक गारंटी आदि पर भी विचार किया जा सकता है.

6.8.6 **ए-टीयूएफएस (पहले टीयूएफएस) योजना के तहत ऋण**

- हमारे बैंक को एमएसएमई और गैर-एमएसएमई दोनों संस्थाओं हेतु टीयूएफएस के तहत पात्रता का पता लगाने के लिए और साथ ही पात्र संस्थाओं को सीधे सब्सिडी वितरित करने के लिए भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है.
- एमएसएमई विभाग, केंद्रीय कार्यालय में एक टीयूएफएस सेल की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य टीयूएफएस के तहत उचित नियंत्रण एवं उपरोक्त गतिविधियों की निगरानी करना और पात्रता का मूल्यांकन, सब्सिडी का वितरण और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय करना भी है. इस योजना के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं.
- ए-टीयूएफएस (संशोधित तकनीकी उन्नयन निधि योजना) को दिनांक 13.01.2016 को वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था. वित्तीय एवं परिचालन मानदंडों पर ए-टीयूएफएस के दिशानिर्देश और दिनांक 13.01.2016 से 31.03.2022 तक इसकी कार्यान्वयन अवधि के दौरान ए-टीयूएफएस के लिए कार्यान्वयन तंत्र निर्धारित किया गया था.
- टीयूएफएस के तहत विस्तृत दिशानिर्देश भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते हैं जिनका पालन बैंक द्वारा किया जाएगा.

6.9. **जोखिम रेटिंग और मूल्य निर्धारण**

उधारकर्ताओं की आंतरिक एवं बाह्य रेटिंग के अलावा, बैंक ने अतिरिक्त ड्यू डिलिजेंस टूल के रूप में सिबिल एमएसएमई रैंक (सीएमआर) की सदस्यता ली है. यह रु. 25 लाख से रु. 25 करोड़ तक के बीच कुल वाणिज्यिक उधारी वाले एमएसएमई पर लागू होता है. जोखिम रेटिंग और मूल्य निर्धारण पर लागू दिशानिर्देश बैंक की ऋण नीति, आंतरिक जोखिम रेटिंग नीति और ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में दिए गए हैं. इसलिए, उन्हें दोहराया नहीं जा रहा है और विषयगत नीतियों से संदर्भित किया जा सकता है.

6.10. **एमएसई प्रस्ताव की अस्वीकृति/कटौती**

ऋण की मंजूरी एवं संवितरण में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए. आवेदन के निस्तारण की समय सारणी का पालन किया जाना चाहिए. एमएसई/प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण प्रस्ताव की ऋण सीमा की अस्वीकृति/कटौती के मामले में अगले उच्च प्राधिकारी को संदर्भित किया जाना चाहिए.

6.11. **एमएसएमई उत्पाद:**

एमएसएमई की ऋण आवश्यकताएं स्थान, क्लस्टर, गतिविधि आदि के अनुसार बदलती रहती हैं. तेजी से बदलती तकनीकी एवं प्रतिस्पर्धा के इस युग में, एमएसएमई को तकनीकियों के अद्यतन, मशीनरी के अधिग्रहण, तरलता की कमी आदि के लिए परेशानी मुक्त ऋण सुविधाओं की आवश्यकता होती है. अत: बैंक द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न एमएसएमई उत्पादों को तैयार किया गया है.

1.	यूनियन परिवहन	15.	यूनियन ई-वे बिल सोल्यूशंस
2.	यूनियन नारी शक्ति	16.	यूनियन स्टैंडबाय लाइन ऑफ क्रेडिट
3.	स्टैंड अप इंडिया	17.	यूनियन जनरल क्रेडिट कार्ड
4.	यूनियन प्रोफेशनल	18.	यूनियन आवासीय रियल एस्टेट इनवेंटरी सपोर्ट
5.	यूनियन टर्नओवर प्लस	19.	यूनियन गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 1.0 (वि.), 2.0 (वि.) & 3.0 (वि.)
6.	यूनियन आयुष्मान प्लस	20.	प्रधान मंत्री स्वनिधि
7.	यूनियन स्टार्ट अप	21.	गौण ऋण के लिए यूनियन क्रेडिट गारंटी योजना
8.	यूनियन एमएसएमई सुविधा	22.	यूनियन आरोग्यम
9	यूनियन जीएसटी गेन	23.	यूनियन संजीवनी
10.	यूनियन प्रोग्रेस	24.	इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य गोदाम रसीद (ईएनडबल्यूआर) के सापेक्ष व्यापारियों का वित्तपोषण
11.	यूनियन लिक्वि प्रॉपर्टि	25.	कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए यूनियन ऋण गारंटी योजना (यूएलजीएससीएएस)
12.	यूनियन रेंट	26.	कोविड प्रभावित पर्यटन (टूरिज़्म) सेवा क्षेत्र के लिए यूनियन ऋण गारंटी योजना (यूएलजीएससीएटीएसएस)
13.	यूनियन मुद्रा	27.	यूनियन उपस्कर वित्तपोषण
14.	पीएमईजीपी	28.	यूनियन एमएसएमई क्रेडिट कार्ड
29.	यूनियन सोलर		

6.12. **चैनल वित्तपोषण पहल:** पूर्व-कॉर्पोरेशन शाखाओं में नकद प्रबंधन सेवा शाखाओं के साथ एकीकृत स्वचालित बीजक वित्त (एआईएफ) योजना नाम से चैनल वित्तपोषण योजना समामेलित इकाई के लिए जारी है. इस सुविधा में पहचाने गए प्रतिष्ठित निर्माताओं के डीलरों एवं विक्रेताओं के लिए एआईएफ शामिल है.

6.13. **एनबीएफसी के साथ सह-उधार (को-लेंडिंग):** बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार सह-उधार मॉडल के जरिए एनबीएफसी के साथ टाई-अप के तहत एमएसएमई को भी वित्त प्रदान करेगा. सह-उधार मॉडल के विस्तृत दिशानिर्देश अलग नीति के माध्यम से जारी किए गए हैं.

6.14. **एमएसएमई सस्टेनेबल (जेडईडी) प्रमाणन योजना: प्रसंस्करण शुल्क में रियायत**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' के प्रयास और 'जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट' के समर्थन के उद्देश्य से दिनांक 11.07.2016 को 'जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेडईडी)' प्रमाणन योजना की शुरुआत की गई. उसी को संशोधित किया गया और एमएसएमई सस्टेनेबल (जेडईडी) योजना को अप्रैल, 2022 में शुरू किया गया.

जेडईडी रेटेड एमएसएमई के लिए प्रसंस्करण शुल्क में रियायत प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी ने निम्नानुसार मंजूरी दी है

इकाई की रेटिंग	प्रसंस्करण शुल्क में रियायत
स्वर्ण	50%
रजत	35%
कांस्य	25%

7. संशोधन और समीक्षा

7.1 यह नीति जारी होने की तारीख से दिनांक 31.03.2024 तक वैध होगी और इसे प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक नवीनीकृत किया जाना चाहिए. प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन से नीति की निरंतरता को 3 महीने की अवधि हेतु आगे बढ़ाया जा सकता है.

7.2 निदेशक मंडल की रिपोर्टिंग एवं अनुमोदन के अधीन समय-समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार/अन्य नियामक प्राधिकरणों के निर्देशों/सलाह के आधार पर मौजूदा दिशानिर्देशों/निर्देशों/अनुदेशों में किसी भी बदलाव के मामले में उसे प्रभावी करने हेतु नीति को भी संशोधित किया जाएगा.

7.3 इस नीति की समय-समय पर समीक्षा/संशोधन, वर्ष में कम से कम एक बार बदलती अर्थव्यवस्था/पर्यावरणीय मांगों के अनुकूल होने हेतु और एमएसएमई ग्राहकों से संबंधित बैंक की ऋण रणनीति में किसी भी बदलाव को शामिल/कार्यान्वयित करने के लिए किया जाएगा.

****